कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

email: cf_bhagirathi_uta@hotmail.com phone/fax no. – 0135-2431159

पत्रांक– 3258 /15–2 दिनांक, मुनिकीरेती, 30 जून 2010।

कार्यालय ज्ञाप
गंगा नदी तट पर बीच कैम्पिंग हेतु आवेदन सम्बन्धी

भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग कार्ययोजना 2003–04 से 2012–13 के अध्याय– 19, पैरा– 9.4.5.1 मे निर्देश कि बीच कैम्पों एंव कैम्प द्वारा संचालित राफ्टिंग गतिविधि को सुनियोजित ढंग से चलाया जाना आवश्यक है, के क्रम में 1 सितम्बर 2010 से 30 जून 2011 तक सभी इच्छुक फर्मो के द्वारा गंगा नदी तट पर वन क्षेत्र में ''बीच कैम्पिंग'' हेतु आवेदन पत्र के मूल्यांकन करने में एकरूपता एंव पारदर्शिता के उद्देश्य से एतद् द्वारा आवेदन पत्र का प्रपत्र निरूपित किया गया है।

2. आवेदन पत्र तीन पृष्ठों का है। आवेदन पत्र के साथ एक संलग्नक भी है, जो तीन पृष्ठों का है। आवेदन के मुख्य भाग मे आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्य आदि का विवरण अपेक्षित है। आवेदन के संलग्नक मे आवेदन करने वाली फर्म द्वारा विगत कैम्पिंग सीजन मे किये गये कार्य एंव आचरण सम्बन्धी सूचना अपेक्षित है।
3. क्योंकि कैम्पिंग एंव राफ्टिंग साहसिक पर्यटन के वृहद विषय मे से एक विशेष गतिविधि है। अतः सभी आवेदकों को इस कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0– 3257/15–2 दिनांक 30 जून 2010 से परिचालित साहसिक पर्यटन गतिविधि संचालन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपेक्षित सूचनायें के आधार पर फर्म से सम्बन्धित सभी सूचना पृथक प्रपत्र में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के कार्यालय मे दो प्रतियों मे जमा करना अनिवार्य है।
4. आवेदन निःशुल्क है।
5. इस कार्यालय मे आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 21 जुलाई 2010 है।
6. क्योंकि आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उनके परीक्षण हेतु अधीनस्थ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को भेजा जाना है। वहां से तथ्यात्मक परीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय से उच्च कार्यालय को अवलोकन/अनुमोदनार्थ भी प्रेषित किया जाना है। सम्पूर्ण कार्यवाही 15 अगस्त 2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। तदोपरान्त ही आवेदन करने वाली फर्मो को 1 सितम्बर 2010 से एक सप्ताह पूर्व उनके आवेदन पत्र पर निर्णय दिया जाना सम्भव है। अतः 21 जुलाई 2010 के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा। जिसका सीधा मतलब है कि देर से प्राप्त आवेदन पत्र को बीच आबंटन की सम्भावना नगण्य है।
7. आवेदन प्रपत्र की प्रति www.uttarakhandforest.org से डाउनलोड की जा सकती है।
8. आवेदन प्रपत्र मे निर्दिष्ट स्थान पर यदि आपके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग कृपया करें।

संलग्नक– 1. नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा नदी तट तक प्रवेश एंव नदी तट पर शिविर स्थापना हेतु अनुमति प्रपत्र।
संलग्नक– 2. **उपरोक्त का संलग्नक।**

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त, उत्ताखण्ड, मुनिकीरेती।